

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 19 / पटना, दिनांक 06/01/2021

BRDS ग्रा0वि0-मनरेगा यो0-02/2018

प्रेषक,

सी0पी0खण्डूजा,  
आयुक्त, मनरेगा।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
सभी उप विकास आयुक्त-सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
बिहार ।

विषय :- मनरेगा से संबंधित योजनाओं का प्राक्कलनभवन निर्माण विभाग, बिहार के अद्यतन अनुसूचित दर (SoR) के आधार पर सृजितकरने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा Schedule of Rate का Tenth Edition (1.7.2020) को प्रकाशित हो चुका है । जिसके आधार पर मनरेगा अंतर्गत योजनाओं का प्राक्कलन सृजित करने हेतु SECURE software पर संबंधित मदों का दर अद्यतन कर दिया गया है। जो तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है । यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है की SECURE लागू होने के पूर्व की वैसी योजनाएं जिनके पुनरीक्षित प्राक्कलन सृजित करने की आवश्यकता हो, का प्राक्कलन भवन निर्माण विभाग, बिहार के Tenth Edition SoR द्वारा 1.7.2020 को प्रकाशित अद्यतन अनुसूचित दर के आधार पर ही पुनरीक्षित/संशोधित किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि नये अनुसूचित दर पर ही प्राक्कलन सृजित करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों (मनरेगा)को अपने स्तर से सूचित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(सी0पी0खण्डूजा)

आयुक्त मनरेगा

जापांक 19 / पटना, दिनांक 06/01/2021

प्रतिलिपि:- सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त मनरेगा

जापांक 19 / पटना, दिनांक 06/01/2021

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त मनरेगा